राज्य (केंद्र शासित प्रदेश), चंडीगढ़ बनाम मंजीत सिंह और अन्य
(डी. एस. तेवतिया, न्यायमूर्ति)

समक्ष

श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और श्री डी.एस. तेवतिया, माननीय न्यायमूर्ति

राज्य (केंद्र शासित प्रदेश), चंडीगढ़, -अपीलकर्ता।

बनाम

मंजीत सिंह और अन्य, -प्रतिवादी।

आपराधिक अपील संख्या *324/*एसबी

***1982* अप्रैल *20, 1983*।**

दंड प्रक्रिया संहिता* (1974 *का* 2) - *धारा* 374 *और* 377 - *अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम* (1958 *का* 20) - *धारा* 4 *और* 11 - *ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया गया - ऐसे आरोपियों को बाद में परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा* 4 - *धारा* 4 *के तहत आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील - क्या सक्षम।

ये निर्धारित किया गया कि, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, *1958* की धारा *11* की उप-धारा *(2)* को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह सामने आएगा कि धारा *3* या धारा *4* के तहत अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उस अदालत में अपील की जाएगी जिसमें आम तौर पर पूर्व अदालत की सजा के खिलाफ अपील की जाती है। अपील के मंच का पता लगाने के लिए, उपर्युक्त उपधारा *(2)* हमें दंड प्रक्रिया संहिता की ओर आकर्षित करती है। दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* की धारा *374* की उप-धारा *(3)* किसी भी व्यक्ति को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराए जाने पर सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान

करती है। उक्त धारा की उपधारा *(3)* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* जो सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान करते हैं वे विशेष प्रावधानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* के संदर्भ में सजा से अपील,संहिता की धारा *376* के खंड *(*बी*)*, *(*सी*)* और *(*डी*)* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमेशा सक्षम नहीं होती। दूसरी ओर, संहिता की धारा *377* ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ राज्य सरकार के कहने पर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है। इसलिए, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* को संहिता की धारा *377(1)* के साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि संहिता के तहत अपील आमतौर पर उच्च न्यायालय में की जाती है। ऐसे में राज्य सरकार के कहने पर ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अपराधी अधिनियम की धारा *4* के तहत आदेश के खिलाफ अपील केवल उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है।

*(*पैरा *6, 13, 14, 16, 24* और *25)*

इस मामले से उत्पन्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए *21* जुलाई, *1982* को एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया द्वारा मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया की बड़ी पीठ ने *20* अप्रैल, *1983* को कानून के प्रासंगिक प्रश्न का फैसला किया।

श्री आर.एस. शर्मा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ की अदालत के *14* मई, *1981* के आदेश के खिलाफ अपील, जिसमें प्रतिवादियों को अधिनियम की धारा *4(1)* के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर *2000* रुपये के बांड तथा समान राशि की जमानत भरने तथा एक वर्ष की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के निर्देश पर रिहा कर दिया गया।

धारा *120*-बी*/408/468* आईपीसी के तहत आरोप।

आदेश: दोषसिद्धि को परिवीक्षा पर रखा गया।

अपीलकर्ता के लिए एच. एस. बराड़ और जी. एस. बाली एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या *1* के लिए जी. एस. गांधी एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या *2* के लिए एस.एस. चोपड़ा वकील।

जी.एस. ग्रेवाल के साथ टी.पी.एस. मान, वकील, प्रतिवादी संख्या *3* के लिए।

निर्णय

श्री डी.एस. तेवतिया, माननीय न्यायमूर्ति -

(1) राज्य *(*केंद्र शासित प्रदेश*)*, चंडीगढ़ के अनुरोध पर की गई यह अपील, रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति से निपटने के लिए मेरे समक्ष प्रस्ताव सुनवाई के लिए आई, साथ ही कार्यालय के अनुसार, *27* ऐसी अन्य अपील सत्र न्यायालय में होती है। मैंने कानून के उस बिंदु के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जो विचार के लिए आया था, कार्यालय की आपत्ति को एक बड़ी बेंच द्वारा तय करने के लिए भेजा और इसी तरह यह अपील हमारे सामने है।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, *1958 (*बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित*)* की धारा *4* के तहत ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील सक्षम है, कुछ महत्व का कानूनी प्रश्न है जो इस अपील में हल करने के लिए आता है।

(3) उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित तथ्य विवाद में नहीं हैं और इस प्रकार बताए जा सकते हैं। उत्तरदाताओं को धारा *120*-बी*/408/478* भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक *14* मई, *1981* के आदेश के तहत दोषी ठहराया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा *4(1)* के तहत उन्हें अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर *2,000* रु. के बांड वे समान राशि की एक जमानत के साथ एक वर्ष की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के निर्देश पर रिहा कर दिया। उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा *4(3)* के अनुसार उस एक वर्ष के दौरान परिवीक्षा अधिकारियों, चंडीगढ़/अमृतसर की देखरेख में रखा गया

था। उन्हें *2,000* रुपये की राशि में एक बांड के साथ समान राशि में एक ज़मानत में प्रवेश करने वे पर्यवेक्षण आदेश में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

(4) अपीलकर्ता-राज्य *(*केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़*)* ने वर्तमान अपील के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी है।

(5) अपील और पुनरीक्षण के लिए प्रासंगिक प्रावधान और ऐसे न्यायालयों की शक्तियां धारा *11* की हैं और उससे संबंधित भाग निम्नलिखित है *: -*

धारा *11.*

अधिनियम के तहत आदेश देने, अपील करने और पुनरीक्षण करने में सक्षम न्यायालय और अपील और पुनरीक्षण में न्यायालयों की शक्तियां।

(1) .....

(2) संहिता में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां धारा *3* या धारा *4* के तहत अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले किसी भी न्यायालय *(*उच्च न्यायालय के अलावा*)* द्वारा कोई आदेश किया जाता है, अपील उस न्यायालय में की जाएगी जहां पूर्व न्यायालय के निर्णय से आम तौर पर अपील की जाती है।

(3) .....

(4) जब किसी अपराधी के संबंध में धारा *3* या धारा *4* के तहत कोई आदेश दिया गया है, तो अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है और इसके बदले में ऐसे अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दे सकता है। परंतु अपीलीय अदालत या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में उस अदालत द्वारा दी गई सजा से अधिक बड़ी सजा नहीं देगा, जिसके द्वारा अपराधी को दोषी पाया गया था।

(6) धारा *11* की उप-धारा *(2)* को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह सामने आएगा कि धारा *3* या धारा *4* के तहत अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील उस न्यायालय में की जाएगी, जिस में आम तौर पर पूर्व न्यायालय की सजा से अपील होती है।

अपील के मंच का पता लगाने के लिए, उपरोक्त उपधारा *(2)* हमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की ओर आकर्षित करती है, (इसके बाद 'कोड' के रूप में संदर्भित), उक्त उप-धारा की शुरुआत में गैर-विषयक खंड के उपयोग के बावजूद, क्योंकि यह वह संहिता है जो विभिन्न अपराधों की सुनवाई के लिए और उसमें बताए गए मंचों पर दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की प्राथमिकता के लिए मंच प्रदान करती है।

(7) यह रेखांकित करने योग्य है कि वर्तमान मामले में हम राज्य द्वारा अपील दायर करने से चिंतित हैं। यह किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है कि राज्य और दोषी दोनों अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* द्वारा प्रदान किए गए अपील के अधिकार का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा **गुजरात राज्य बनाम पुराणि जगतपवनदास गुरु भक्ति जीवनदास**[1] में माना गया है।

(8) संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों की खोज हमें धारा *374* और *377* तक ले जाती है।

(9) संहिता की धारा *374*, जो निम्नलिखित शर्तों में है, मुख्य रूप से दोषसिद्धि के दोषियों के अनुरोध पर अपील का प्रावधान करती है।

दोषसिद्धि से अपील.

> *(1)* किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार पर आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
>
> *(2)* किसी भी व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आयोजित मुकदमे में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया हो, जिसमें उसके खिलाफ या किसी अन्य दोषी व्यक्ति के खिलाफ सात साल से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है वे
>
> उस मुकदमे में उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
>
> *(3)* उपधारा *(2)* में जैसा अन्यथा प्रावधानित है उसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति:-

[1] 1981 गुजरात कानून रिपोर्ट 895।

(ए) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित मुकदमे, में दोषी ठहराया गया या

(बी) धारा *325* के तहत सजा सुनाई गई, या

(सी) जिसके संबंध में किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा *360* के तहत सजा सुनाई गई है या आदेश दिया गया है वे सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है।

(10) धारा *377* सजा के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा अपील का प्रावधान करती है और निम्नलिखित शर्तों में है: -

सज़ा के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील।

(1) उप-धारा *(2)* में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमे में सजा के किसी भी मामले में उसकी अपर्याप्तता के आधार पर, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का निर्देश दे सकती है।

(2) यदि ऐसी सजा ऐसे मामले में है जिसमें अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, *1946 (1946* का *25)* के तहत गठित दिल्ली विशेष सार्वजनिक प्रतिष्ठान द्वारा की गई है, या किसी अन्य एजेंसी द्वारा की गई है जो किसी अपराध की जांच करने के लिए इस संहिता के अलावा किसी भी केंद्रीय अधिनियम में अधिकृत है, केंद्र सरकार लोक अभियोजक को इसकी अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का निर्देश भी दे सकती है।

(3) जब अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है, तो उच्च न्यायालय आरोपी को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बिना सजा नहीं बढ़ाएगा और कारण बताते समय, आरोपी उसे बरी करने या सज़ा कम करने की अपील कर सकता है।

(11) उपरोक्त दो धाराओं के अलावा, संहिता में कोई अन्य धारा नहीं है जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ सजा या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का प्रावधान करती हो।

(12) यह निर्धारित करने के लिए कि संहिता के दो प्रावधानों में से कौन सा हमें अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* में परिकल्पित अपील के मंच का सुराग दे सकता है, अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* में परिकल्पित 'सामान्यतः' शब्द के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। मेरी राय में 'सामान्यतः' अभिव्यक्ति का प्रयोग 'विशेष' अभिव्यक्ति के विपरीत किया गया है।

(13) संहिता की धारा *374* के खंड *(ए)* या उपधारा *(3)* का प्रावधान किसी भी व्यक्ति को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराए जाने पर सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है। उपधारा *(3)* के खंड *(बी)* में एक विशेष मामले के रूप में यह भी प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को 'संहिता' की धारा *325* के तहत सजा सुनाई जाती है, तो वह सत्र न्यायालय में अपील के माध्यम से सजा को चुनौती दे सकता है। उपधारा *(3)* का खंड *(सी)* किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा *360* के तहत दिए गए आदेश या पारित सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है।

(14) धारा *374* की उप-धारा *(3)* के खंड *(बी)* और *(सी)* जिस हद तक सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान करते हैं, वह सजा के खिलाफ अपील की व्यवस्था करने वाले विशेष प्रावधानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सजा से अपील संहिता की धारा *374* की उप-धारा *(3)* के खंड *(बी)* और *(सी)* के संदर्भ में धारा *376* के खंड *(बी)*, *(सी)* और *(डी)* के प्रावधानों को देखते हुए अपील हमेशा सक्षम नहीं होती है। धारा *376* निम्नलिखित है: -

> *376.* छोटे मामलों में अपील नहीं।
>
> धारा *374* में किसी बात के होते हुए भी, दोषी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी मामले में कोई अपील नहीं की जाएगी, अर्थात्: -

(बी) जहां सत्र न्यायालय या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केवल तीन महीने या उससे कम की अवधि के लिए कारावास या दो सौ रुपये से अधिक का जुर्माना, या ऐसे कारावास और जुर्माना दोनों की सजा सुनाता है;

(सी) जहां प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रूपये तक के जुर्माने की सजा पास करता है; या

(डी) जहां, किसी मामले की संक्षिप्त सुनवाई में, एक मजिस्ट्रेट को धारा 260 के तहत कार्य करन` का अधिकार दिया गया हो पर व` केवल दो सौ रुपय ` तक के जुर्माने की सजा देते हैं।

(15) संहिता की धारा *374* की उप-धारा *(3)* के प्रावधानों पर मैंने जो निर्माण किया है, उससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान आम तौर पर दोषी व्यक्तियों के कहने पर दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील की परिकल्पना करता है और सजा के खिलाफ नहीं, हालांकि एक दोषी अपनी सजा को चुनौती देते हुए अदालत से सजा कम करने या उसके बदले में कोई अन्य आदेश पारित करने का भी आग्रह कर सकता है।

(16) दूसरी ओर संहिता की धारा *377* आमतौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ राज्य सरकार के कहने पर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान नहीं करती है।

(17) इसे अलग ढंग से कहें तो, इसका मतलब है कि आमतौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ राज्य के कहने पर, अपर्याप्तता के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(18) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने, हालांकि, **कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रप्पा और अन्य**[2] मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर, आग्रह किया कि 'संहिता' की धारा *374* के प्रावधान लागू होंगे तथा अधिनियम की धारा *11 (2)* के संदर्भ में अपील किस मंच पर होगी, यह अकेले धारा *374* के प्रावधान निर्धारित करने में मदद करेंगे और इस संबंध

[2] 1981 क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1349।

में नेसारगी, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बेंच के लिए राय तैयार की।

> "अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* में अभिव्यक्ति 'एक अपील उन अदालतों में की जाएगी जहां अपील आमतौर पर पूर्व अदालत के वाक्यों से होती है' का स्पष्ट अर्थ, यह पता लगाने के लिए, कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा पारित सजा के खिलाफ किस अदालत में अपील की जाती है, नयी संहिता कि धारा *374* का संदर्भ दिया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बसवकल्याण द्वारा पारित किया गया है। अधिक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, हम पुरानी संहिता की धारा *520* की तुलना में पुरानी संहिता की धारा *517* से निपटते समय प्रश्न पर स्थापित कानून का संदर्भ ले सकते हैं। यही स्थिति तब होगी जब नई संहिता की धारा *458* की उपधारा *(2)* को नई संहिता की धारा *452* के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिए गए आदेश के साथ देखा जाएगा। इसलिए,न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा अधिनियम की धारा *3* या धारा *4* के तहत पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* के तहत विचार की गई अपील संबंधित सत्र न्यायालय में होनी चाहिए। इस मामले में सेशन कोर्ट बीदर है। चूंकि अधिनियम की धारा *11* की उपधारा *(2)* केवल अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित आदेशों को संदर्भित करती है, दोषसिद्धि को नहीं, यह किसी दोषसिद्धि या सजा के खिलाफ अपील पर लागू नहीं हो सकती है। यदि कोई दोषी अभियुक्त उसे दी गई सजा के खिलाफ अपील करना चाहता है तो उसे नई संहिता की धारा *374* के प्रावधानों का सहारा लेना होगा। इस संबंध में हम **बैद्यनाथ प्रसाद बनाम अवधेश सिंह**[3], **राज किशोर बनाम कलासी साहू** [4], **राज्य बनाम जगदीश**[5], और **शिवचरण बनाम राज्य**[6], सीआर एलजे *1630* का उल्लेख कर सकते हैं। उपर्युक्त निर्णयों में वही सिद्धांत निर्धारित किया गया है, और हम उन न्यायमूर्तियू से पूरी तरह से सहमत हैं। '

(19) नेसारगी, जे. की उपरोक्त टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलेगा कि विद्वान न्यायाधीश ने पुराने कोड की धारा *520* और नए कोड की धारा *458* के प्रावधानों को न्यायिक मजिस्ट्रेट

---

[3] एआईआर 1964 पैट. 358.
[4] एआईआर 1974 सीआरएल। 193.
[5] एआईआर 1970 राज. 110.
[6] एआईआर 1973 राज. 167.

प्रथम श्रेणी के एक आदेश के संदर्भ में पुराने कोड की धारा *517* के तहत और नए कोड की धारा *452* के तहत क्रमश धारा *11 (2)* के प्रावधान के साथ समान करने का प्रयास किया था।

(20) पुरानी संहिता की धारा *520* और नई की धारा *458* ध्यान देने योग्य है। ये निम्नलिखित शब्दों में हैं:-

> *"520.* अपील, पुष्टि, संदर्भ या पुनरीक्षण का कोई भी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित धारा *517*, धारा *518* या धारा *519* के तहत किसी भी आदेश को पूर्व न्यायालय द्वारा विचार किए जाने तक रोके रखने का निर्देश दे सकता है, और ऐसे आदेश को संशोधित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है और आगे कोई भी आदेश दे सकता है जो उचित हो।
>
> *458. (1)* यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर अपना दावा स्थापित नहीं करता है और यदि वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी, यह दिखाने में असमर्थ है कि यह उसके द्वारा कानूनी रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के निपटान में होगा और उस सरकार द्वारा बेचा जा सकता है और ऐसी बिक्री की आय निर्धारित तरीके से निपटाई जाएगी।
>
> *(2)* ऐसे किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में की जाएगी, जहां सामान्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की जाती है।"

(21) पुराने कोड की धारा *520* और नए कोड के *458* के प्रावधानों पर एक सरसरी नज़र डालने से भी पता चलेगा कि ये प्रावधान अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* के प्रावधानों के बराबर नहीं हैं।

(22) पुरानी संहिता की धारा *520* में, प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अधीनस्थ न्यायालय" अपील, पुष्टि, संदर्भ या पुनरीक्षण के मंच की खोज का मार्गदर्शन करेगी कि क्या धारा *517*, *518* या *519* के तहत आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालय था।

(23) संहिता की धारा *458* की उप-धारा *(2)* के मामले में अपील का मंच वह न्यायालय है, जहां आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई सजा के खिलाफ अपील की जाती है। लेकिन धारा *11* की उपधारा *(2)* के संदर्भ में अपील के मंच का पता लगाने की तलाश 'इस तथ्य से निर्देशित होनी चाहिए कि क्या हम जो मंच चुन रहे हैं, वह, वो है जिसमें अपील आम तौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा

पारित वाक्यों से होती है न कि उस न्यायालय के, जिसके वह अधीनस्थ है, जैसा कि पुरानी संहिता की धारा *520* में परिकल्पित है या जिसमें आम तौर पर ऐसे ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की जा सकती है, जैसा कि नई संहिता की धारा *458* में परिकल्पना की गई है।

(24) **गुजरात राज्य बनाम पुरानी जगत-पवनदास गुरु भक्ति जीवनदास** *(*सुप्रा*)* मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष भी एक समान प्रश्न सामने आया था। सम्मान के साथ मैं, अहमदी जे की निम्नलिखित टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हूं, जिन्होंने बेंच के लिए राय दी: -

> "इसलिए, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा *11* की उपधारा *(2)* के तहत अपील उस न्यायालय में की जाएगी, जहां आम तौर पर, अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले न्यायालय द्वारा दी गई 'सजा' के संबंध में अपील की जाती है, वर्तमान मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नडियाद। हम पहले ही बता चुके हैं कि अधिनियम की धारा *11* की उपधारा *(2)* द्वारा प्रदत्त अपील का अधिकार केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य को भी प्राप्त है। अब, संहिता में धारा *377(1)* की शुरूआत के बाद, आमतौर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए सजा के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा अपील इस न्यायालय में की जाएगी। अधिनियम की धारा *11 (2)* के तहत, उस फोरम को जहां अपील की जाती है निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए, अधिनियम की धारा *3* या धारा *4* के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को सजा के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। सजा के आदेश के खिलाफ, जहां तक राज्य का सवाल है, अपील आमतौर पर संहिता की नई सम्मिलित धारा *377 (1)* के तहत इसी न्यायालय में की जा सकती है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। इसलिए, अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(2)* को संहिता की धारा *377 (1)* के संदर्भ में पढ़ते हुए, अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। पहले उद्धृत दो निर्णयों में व्यक्त विपरीत दृष्टिकोण सही कानून नहीं बनाता है।"

(25) उपरोक्त कारणों से, निर्णय की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का हमारा उत्तर सकारात्मक है और हम मानते हैं कि इस मामले में चंडीगढ़ यू.टी. की राज्य सरकार के अनुरोध पर ट्रायल मजिस्ट्रेट

द्वारा अधिनियम की धारा *4* के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील केवल इस न्यायालय में की जाएगी।

(26) उपरोक्त के मद्देनजर, रजिस्ट्री को ऐसी अन्य अपीलों के साथ इस अपील पर भी विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।